Publication:	Millennium Post [New Delhi]	Page No:	14
Published Date:	27 Feb 2020	Journalist:	PTI
MAV/CCM:	86700/14.45	Circulation:	150000

GSTN launches new toll-free number for its GST helpdesk

NEW DELHI: The Goods and Services Tax Network (GSTN) on Wednesday said it has launched a new toll-free number for GST helpdesk, which will be operational 365 days for answering queries related to the indirect tax.

In a statement, the GSTN said it has revamped GST helpdesk by introducing new features to improve taxpayers' experience by making the system more robust and transparent.

The GSTN has come up with a new GST help desk toll-free calling number '1800 103 4786'. The caller may call on this number on 365 days in a year from 9 am to 9 pm.

With the introduction of the toll-free number, the existing contact number for the GST helpdesk (0120-24888999) has been discontinued, the GSTN added.

Further, 10 new languages were introduced on helpdesk. Till now, taxpayers had a facility to interact in Hindi and English. PTI

Publication:	Dainik Bhaskar (Hindi) [New Delhi]	Page No:	11
Published Date:	27 Feb 2020	Journalist:	Bureau
MAV/CCM:	38232/21.24	Circulation:	38020

जीएसटीः नए नंबर पर 12 भाषाओं में जानकारी

365 दिन सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक काम करेगी हेल्पडेस्क

एजेंसी | नई दिल्ली

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (जीएसटीएन) ने जीएसटी हेल्पडेस्क के लिए एक नया टोल-फ्री नंबर '1800 103 4786' शुरू किया है। इस इनडायरेक्ट टैक्स से जुड़े सवालों या समस्या के समाधान के लिए इस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। यह टोल-फ्री नंबर 365 दिन काम करेगा।

इस पर सुबह नौ बजे से शाम नौ बजे तक कॉल किया जा सकता है। नए टोल-फ्री नंबर की शुरुआत के साथ जीएसटी हेल्पडेस्क के रूप में काम कर रहे पुराने नंबर 0120-24888999 को सेवा से हटा दिया गया है। जीएसटीएन ने एक बयान में यह जानकारी दी। इसके मुताबिक जीएसटी हेल्पडेस्क के सिस्टम को और बेहतर और पारदर्शी बनाया गया है। इसके साथ ही टैक्सपेयर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए फीचर्स लॉन्च किए गए हैं।

इस हेल्पडेस्क पर अब 10 और नई भाषाओं में जानकारी ली जा सकती है। अब तक जीएसटी हेल्प डेस्क पर सिर्फ हिन्दी और अंग्रेजी में ही जानकारी मिलती थी। अब बंगाली, मराठी, तेलुगू, तमिल, गुजराती, कन्नड़, ओडिया, मलयालम, पंजाबी और असमी भाषा में भी आप जीएसटी हेल्पडेस्क एजेंट से बात कर सकेंगे।

Publication:	Dainik Jagran (Rashtriya) (Hindi) [New Delhi]	Page No:	12
Published Date:	27 Feb 2020	Journalist:	Bureau
MAV/CCM:	228448/25.96	Circulation:	162335

जीएसटी संबंधी पूछताछ अब 10 क्षेत्रीय भाषाओं में भी

नई दिल्ली, प्रेट्र : गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (जीएसटीएन) ने जीएसटी से संबंधित पूछताछ के लिए नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। नया टोल-फ्री नंबर 18001034786 है। इस नंबर पर अप्रत्यक्ष कर से संबंधित सभी तरह के सवाल पूछे जा सकेंगे। जीएसटीएन ने बताया कि हेल्प डेस्क के साथ 10 नई भाषाओं को जोड़ा गया है। करदाता अब बंगाली, मराठी, तेलगू, तमिल, गुजराती, कन्नड़, उड़िया, मलयालम, पंजाबी और असमी में भी पूछताछ कर सकेंगे। अभी तक सहायता सिर्फ दो भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध थी।

जीएसटीएन ने बताया कि हेल्प डेस्क को नई सुविधाओं से लैस किया गया है। इससे करदाताओं को सुविधा तो मिलेगी ही, पारदर्शिता भी बढ़ेगी। नए हेल्पलाइन नंबर पर सुबह नौ से शाम नौ बजे के बीच किसी भी समय पर फोन करके जरूरी जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। नए नंबर के जारी होने के साथ ही पुराना हेल्पलाइन नंबर बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही शिकायत दर्ज कराने वाले पोर्टल में भी सुधार किया गया है। जीएसटीएन के जरिये जीएसटी से संबंधित सभी तकनीकी कार्यों को अंजाम दिया जाता है। ज्ञात हो कि जीएसटी हेल्प डेस्क को रोजाना करीब आठ से 10 हजार फोन-कॉल प्राप्त होते हैं।

अब बंगाली, मराठी, तेलगू, तमिल, गुजराती, कन्नड, उड़िया, मलयालम, पंजाबी और असमी में भी ले सकेंगे जानकारी

प्रतीकात्मक